न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 05 / 2023

वादीगण :–

1. जबराराम पुत्र राणाराम
2. श्यामलाल पुत्र राणाराम
3. किशोरराम पुत्र राणाराम
   जातियान माली निवासीगण खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भीकाराम पुत्र लाबूराम
2. लूम्बाराम पुत्र लाबूराम
3. मानाराम पुत्र लाबूराम जातियान माली निवासीगण खेजडला तहसील बिलाडा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति:– वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 4 – सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांक:–** 13/11/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 634 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। यह भूमि लाबूराम पुत्र धूडाराम जाति माली निवासी खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की खातेदारी की थी। खातेदार लाबूराम ने खसरा नम्बर 634 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि को दिनांक 30.03.1992 को वादीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड बैचाननामा निष्पादित करवा दिया। वादीगण को घर में लाड प्यार से जबररूराम, श्यामा, कमलकिशोर पुकारते है और वादीगण के सरकारी दस्तावेज आदि में उनका नाम जबराराम, श्यामलाल, कमलकिशोर लिखा हुआ है। जब वादीगण के पक्ष में विवादित भूमि का बैचाननामा निष्पादित किये गये, उस समय बैचाननामा में प्रतिवादी संख्या–1 से 3 के पिता लाबूराम ने भूलवश या त्रुटीवश वादीगण का नाम जबरूराम, श्यामा, कमलकिशोर लिखवा दिया, बैचान के समय वादीगण नाबालिग थे। जबकि वादीगण का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उनका वास्तविक नाम जबराराम, श्यामलाल, किशोरराम है। वादी अभी एक माह पूर्व अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का नाबालिग से बालिग का नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी के समक्ष गये और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि का नाबालिग से बालिग का नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु का निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक डायरी, अंकतालिका आदि दस्तावेज पेश किये, जिस पर हल्का पटवारी ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम जबराराम, श्यामलाल, किशोरराम लिखा हुआ है। और जमाबंदी में जबरूराम, श्यामा, कमलकिशोर लिखे हुए है। जिस पर हल्का पटवारी ने बालिग का नामान्तरकरण स्वीकृत करने से मना कर दिया और वादीगण को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में शुद्धि आदि करवायी जावे, जिस वादीगण ने बैचानकर्ता लाबूराम के घर खेजडला में जाकर सम्पर्क किया जो जानकारी हुयी कि वैचानकर्ता लाबूराम का देहान्त हो चुका है तो वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से राजस्व रेकर्ड में शुद्धि कराने का निवेदन किया, जिस पर उन्होने शुद्धि कराने से मना कर दिया, इस कारण वादीगण को

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

राजस्व रेकर्ड मे अपने जबरूराम के स्थान पर जबराराम, श्यामा के स्थान पर श्यामलाल, कमलकिशोर, के स्थान पर किशोरराम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी जबराराम व जबरूराम तथा श्यामलाल व श्यामा, किशोरराम व कमलकिशोर एक ही व्यक्ति है, जो राणाराम के जायन्दा पुत्र है तथा विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 634 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कहीं कोई आपति, एतराज या अपील रिवीजन आदि पेश नहीं की है।वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में जबरूराम, श्यामा, कमलकिशोर लिख देने से वादीगण अपनी भूमि का बालिग का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं कर पा रहे है और न ही अपनी भूमि की कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते है। वाद कारण वादीगण का दिनांक 30.03.1992 को विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता द्वारा गलत नाम दर्ज कराने पर तथा वादीगण अभी एक माह पूर्व अपनी खातेदारी भूमि का नाबालिग से बालिग का नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी के पास गये और उनके द्वारा रेकर्ड में बालिक का नामान्तरकरण स्वीकृत कराने का कहने पर और वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा रेकर्ड में शुद्धि का इन्द्राज दुरूस्त कराने से मना कर दिया, इस कारण वादीगण को वाद कारण ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 634 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा (खसरा नंबर 634 रकबा 1.3187 हैक्टयर) के राजस्व रेकर्ड में जबरूराम पुत्र राणाराम के स्थान पर जबराराम पुत्र राणाराम तथा श्यामा पुत्र राणाराम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र राणाराम तथा कमलकिशोर पुत्र राणाराम के स्थान पर किशोरराम पुत्र राणाराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम जबरूराम, श्यामा, कमलकिशोर के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर जबराराम, श्यामलाल, किशोरराम का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावे ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बार–बार आवाज दिलवाई गई एवं उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेजडला के खसरा नंबर 634 रकबा 8–03 बीघा है जो लाबूराम पुत्र धूडाराम जाति माली निवासी खेजडला के नाम खातेदारी दर्ज थीं। लाबूराम द्वारा खसरा नंबर 634 रकबा 8–03 बीघा भूमि को दिनांक 30.03.1992 को वादीगण के पक्ष में पंजीबद्ध बैचाननामा निष्पादित करवाया था वक्त बैचान के समय वादीगण के नाम पंजीयन दस्तावेज में जबरूराम, श्यामा व कमलकिशोर लिखवा दिया गया। जबकि वादीगण के सरकारी/निजी दस्तावेज में नाम जबराराम, श्यामलाल, किशोरराम दर्ज है। पटवारी हल्का खेजडला ने अपनी रिपोर्ट में जबरूराम, श्यामा व कमलकिशोर तथा जबराराम, श्यामलाल व किशोरराम तीनों अलग–अलग एक ही व्यक्ति होना बताया हैं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम खेजडला के खसरा नंबर 634 रकबा 8–03 बीघा (1.3187 हैक्टयर) के राजस्व रेकर्ड में जबरूराम पुत्र राणाराम के स्थान पर जबराराम पुत्र राणाराम, श्याम पुत्र राणाराम के स्थान पर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

श्यामलाल पुत्र राणाराम तथा कमलकिशोर पुत्र राणाराम के स्थान पर किशोरराम पुत्र राणाराम की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में नाम की दुरूस्ती किये जाने में भूमिधारी सहमत है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का खण्डन नहीं करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र किशोरराम पुत्र राणाराम का पेश किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खसरा नंबर 634 ग्राम खेजडला , प्रदर्श 2 आधार कार्ड किशोरराम पुत्र राणाराम, प्रदर्श 3 पैनकार्ड श्यामलाल पुत्र राणाराम, प्रदर्श 4 आधार कार्ड जबराराम पुत्र राणाराम , प्रदर्श 5 आधार कार्ड श्यामलाल पुत्र राणाराम आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड जबराराम पुत्र राणाराम, प्रदर्श 2 आधार कार्ड श्यामलाल पुत्र राणाराम, प्रदर्श 3 पैनकार्ड श्यामलाल पुत्र राणाराम जी तुलछाराम माली, प्रदर्श 4 आधार कार्ड किशोर राम पुत्र राणाराम आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादीगण नाम जबराराम पुत्र राणाराम, श्यामलाल पुत्र राणाराम, किशोरराम पुत्र राणाराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम जबरूराम पुत्र राणाराम, श्यामा पुत्र राणाराम व कमलकिशोर पुत्र राणाराम के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीगण के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम जबराराम पुत्र राणाराम, श्यामलाल पुत्र राणाराम, किशोरराम पुत्र राणाराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने नाम शुद्धि करने में अपनी सहमति प्रदान की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 634 रकबा 8–03 बीघा (1.3187 हैक्टयर) के राजस्व रेकर्ड में दर्ज जबरूराम पुत्र राणाराम के स्थान पर जबराराम पुत्र राणाराम, श्यामा पुत्र राणाराम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र राणाराम तथा कमलकिशोर पुत्र राणाराम के स्थान पर किशोरराम पुत्र राणाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

जबराराम भीकाराम

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 05/2023

निर्णय दिनांक :– 13/11/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 634 रकबा 8–03 बीघा (1.3187 हैक्टयर) के राजस्व रेकर्ड में दर्ज जबरूराम पुत्र राणाराम के स्थान पर जबराराम पुत्र राणाराम, श्यामा पुत्र राणाराम के स्थान पर श्यामलाल पुत्र राणाराम तथा कमलकिशोर पुत्र राणाराम के स्थान पर किशोरराम पुत्र राणाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा